केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com के लिये विज्ञापन बुक कराये। विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम सम्पर्क
मो0 9336715406
8400925463
भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :47 अंक 305 रविवार 31 मई 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

यूपी में डीजल, पेट्रोल, सीएनजी के बाद 10 प्रतिशत मंहगी हुई बिजली

लखनऊ (आभा)। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी के बाद उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने जून के बिजली बिलों पर 10 प्रतिशत 'ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार' (एफपीपीएएस) लगाने की औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस कदम से राज्य भर में सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा। यह सरचार्ज, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, बिजली खरीदने और ट्रांसमिशन लागत पर हुए अतिरिक्त खर्च की भरपाई के लिए लगाया गया है।

29 मई को जारी एक आदेश के अनुसार, मार्च महीने से जुड़ा 10 प्रतिशत का यह इजाफा जून में जारी होने वाले बिजली के बिलों के जरिए वसूला जाएगा। इस फैसले का मतलब है कि उपभोक्ताओं को श्फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (ईंधन सरचार्ज समायोजन तंत्र) के तहत अपने मासिक बिजली बिलों पर अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा।

फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्जश (ईंधन और बिजली खरीद समायोजन सरचार्ज) इसलिए लगाया जाता है, ताकि वितरण कंपनियों को ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार–चढ़ाव और अलग–अलग स्रोतों से बिजली खरीदने की बढ़ी हुई लागत की भरपाई की जा सके।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी के चलते बिजली की व्यापक और लंबे समय तक चलने वाली कटौती हो रही है । इस भीषण गर्मी ने कई जिलों में तापमान को 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंचा दिया है।

बढ़ते तापमान के कारण बिजली की खपत में काफी बढ़ोतरी हुई है क्योंकि घर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और उद्योग इस भीषण मौसम का सामना करने के लिए कूलिंग उपकरणों और अन्य बिजली के उपकरणों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं।

इसके परिणामस्वरूप, पूरे राज्य में बिजली की मांग में तेजी से उछाल आया है और बताया जा रहा है कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार मांग में लगभग 5,000 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई है।

हालांकि, उत्तर प्रदेश ने हाल के वर्षों में अपने ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया है और अपनी बिजली ट्रांसमिशन क्षमता को बढ़ाया है। हालांकि अधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि यह बढ़ोतरी उपभोक्ताओं की तेजी से बढ़ती मांग के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई है।

एक नजर

राजस्व वसलूी में तेजी, डग्गामार वाहनों के विरूद्ध कार्रवाई का निर्देश

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। मण्डलायुक्त अखिलेश सिंह की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था, राजस्व वसूली एवं कर करेत्तर की मासिक समीक्षा बैठक आयुक्त सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक को सम्बोधित करते हुए मण्डलायुक्त ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली में तेजी लायें। उन्होने प्रवर्तन से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि डग्गामार वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही की जाय तथा निजी वाहनों को व्यवसायिक प्रयोग में लाने वाले वाहन स्वामियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय। उन्होने यह भी निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेतरतीब खड़े वाहनों, ड्रिंक एवं ड्राइव मामलें में कठोर कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय।

पुलिस उप महानिरीक्षक संजीव त्यागी ने कहा कि वाहनों का नम्बर प्लेट स्पष्ट रूप से दिखें। नम्बर प्लेट ठीक से न दिखाई देने वाले वाहनों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। इसके लिए कार्ययोजना बनाकर कार्य करें। ओवर लोड व ओवर स्पीड वाहनों के विरूद्ध भी कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय।

मण्डलायुक्त ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि समय–समय पर सैम्पलिंग की कार्यवाही की जाय। उन्होने न्यायालय से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि धारा 44, 80 और 116 से संबंधित प्रकरण को नियमानुसार शीघ्रअतिशीघ्र निस्तारित करें।

उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली में अपेक्षित प्रगति में पिछड़े विभाग कार्ययोजना बनाकर निरन्तर अभियान चलायें। बैठक का संचालन अपर आयुक्त प्रशासन मनोज कुमार तिवारी ने किया। बैठक में जिलाधिकारी बस्ती श्रीमती कृत्तिका ज्योत्स्ना, सिद्धार्थनगर शिवशरणप्पा जी.एन., संतकबीरनगर आलोक कुमार, तीनों जिलों के पुलिस अधीक्षक, आरटीओ फरूउद्दीन, डीएफओ डा. शिरिन, खान अधिकारी प्रशान्त यादव, सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रर्वतन) सुरेश कुमार मौर्या, डिप्टी कमिश्नर वाणिज्यकर प्रभाकर सरोज, उप निदेशक प्रशासन मण्डी परिषद श्रीमती ज्योति यादव, प्रशासनिक अधिकारी संतोष कुमार पाण्डेय सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

घर के बाहर फायरिंग से दहशत, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । बस्ती के रौतापार मोहल्ले में शनिवार तड़के बाइक सवार तीन युवकों ने एक घर के बाहर फायरिंग कर दहशत फैला दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। यह पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

रौतापार निवासी सौरभ श्रीवास्तव के घर के बाहर शनिवार सुबह करीब 4.50 बजे तीन युवक बाइक पर पहुंचे। आरोप है कि युवकों ने पहले अभद्र भाषा का प्रयोग किया और गाली–गलौज की। इसके बाद उन्होंने दो राउंड फायरिंग की।

अचानक हुई गोलीबारी की आवाज से पूरे मोहल्ले में अफरा–तफरी मच गई और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। भवन स्वामी मुकेश श्रीवास्तव ने बताया कि घटना के समय उनका परिवार घर के अंदर सो रहा था। शोर–शराबा और गालियों की आवाज सुनकर वे सहम गए।

घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस आसपास लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। कोतवाली इंस्पेक्टर मोती चंद ने बताया कि मामले में विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है।

बाउन्ड्रीवाल निर्माण को लेकर विवाद, पीड़ता ने उच्चाधिकारियों से लगाया न्याय की गुहार

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। मुण्डेरवा थाना क्षेत्र के हथिरजा निवासिनी आमिना खान पत्नी अकबर खान ने मण्डलायुक्त और पुलिस उच्चाधिकारियों को पत्र देकर मार पीट, जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषियों के विरूद्ध दर्ज मुकदमा के आधार पर गिरफ्तारी, कार्रवाई और अपने परिवार के जान माल के रक्षा की गुहार लगाया है।

उच्चाधिकारियों को दिये पत्र में आमिना खान ने कहा है कि गत 19 मई को वह अपने घर की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य करा रही थी उसी समय बगल के जहीर अहमद पुत्र सिराज अहमद व बिन्नो पुत्री सिराज अहमद उसके घर पर चढ़ आये। उसे और उसकी पुत्री ने उन लोगों को अपने घर से वापस जाने को कहा किन्तु उसकी बेटी को जहीर अहमद मारने–पीटने लगे व पुत्री को अकेला पाकर उसके साथ दुर्व्यर्वहार करने की नियत से छेड़खानी करने लगे । उक्त लोग उसकी पुत्री के साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित कर सकते हैं। उसकी पुत्री ने पाकर 112 नम्बर पर डायल किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तहरीर के लिए थाने पर बुलाया। वह अपनी पुत्री के साथ मुण्डेरवा थाने पर पहुंचकर घटना की जानकारी दी। घर आने पर चता चला कि वापस उसके पति के मोबाइल पर जहीर अहमद एवं भाई जुनैद अहमद व जुबैर अहमद द्वारा बार बार धमकी दी जा रही है । उसने इस मामले में दोषियों के विरूद्ध दर्ज मुकदमे के आधार पर दोषियों की गिरफ्तारी और अपने परिवार के जान माल के रक्षा की गुहार लगाया है।

नगर पंचायत नगर की अध्यक्ष नीलम सिंह राना के नेतृत्व में चलाया गया विशेष स्वच्छता अभियान

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। नगर पंचायत नगर की अध्यक्ष नीलम सिंह राना के नेतृत्व में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। शनिवार को लोहिया नगर वार्ड के देवापार में प्रातः 06 बजे से तीन घंटे तक चले इस अभियान में अध्यक्ष के साथ सभासदों, नगर पंचायत कर्मियों तथा सहयोगियों ने खूब पसीना बहाया। हाथों में स्वयं झाड़ू लिए श्रीमती राना ने टीम के साथ शिव मंदिर परिसर और तालाब के अन्दर उतर कर साफ सफाई किया। उन्होंने ने कहा कि महात्मा गांधी से लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वच्छता को अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करने का संदेश दिया गया हैं। श्रीमती राना ने नागरिको से अपील किया कि अपने घरों तथा आस पास स्वच्छता बनाए रखें जिससे बीमारियों पर लगाम लगाया जा सके। कहा कि स्वच्छ, स्वस्थ, सुन्दर और समृद्ध नगर बने बिना नगर को देश को मॉडल नगर पंचायत बनाने तथा विकसित भारत की कल्पना साकार नहीं हो सकेगी।

श्रीमती राना ने बताया कि नगर देश की पहली नगर पंचायत है जहां प्रत्येक माह विशेष स्वच्छता अभियान, योग दिवस, वृद्ध जन सम्मान, श्रीराम धाम निःशुल्क यात्रा सहित साप्ताहिक जनता दर्शन, नगर पंचायत अध्यक्ष विवेकाधीन कोष, निःशुल्क शव वाहन सुविधा, संस्कार सहभागिता योजना, श्रम बीर सम्मान योजना, एपीजे अब्दुल कलाम स्मृति मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार, धर्म ज्योति योजना, शिकायतों के लिए टोल फ्री सुविधा, युवाओं के लिए नगर महोत्सव एवं शहीद मेला जैसी दर्जनों जनहितकारी योजनाएं संचालित हो रही हैं। इस अवसर पर सभासद राजेश पाण्डेय, राजकुमार चौधरी, रणजीत सिंह, राजेश त्रिपाठी, मोनू पांडेय, राकेश पाण्डेय ,चंद्र मणि, मिश्र, जगदम्बा पाण्डेय, श्रुति अग्रहरि, सचिन पाण्डेय, राधा देवी कसौधन, राज कुमारी सोनी, सरोज , शिवम कसौधन सहित बड़ी संख्या में नगर पंचायत कर्मी तथा क्षेत्रीय नागरिक मौजूद रहे।

मण्डलायुक्त ने दिया जल जीवन मिशन योजना के समीक्षा का निर्देश

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । मण्डलायुक्त अखिलेश सिंह की अध्यक्षता में विकास कार्यो की मासिक मण्डलीय समीक्षा बैठक आयुक्त सभागार में सम्पन्न हुयी। बैठक में मण्डल के अन्तर्गत संचालित विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यो की विभागवार समीक्षा की गयी। मण्डलायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि विकास कार्यो में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नही की जायेंगी। उन्होने कहा कि शासन के प्राथमिकता वाले योजनाओं का कियान्वयन गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ सुनिश्चित किया जाय। उन्होने जलजीवन मिशन से संबंधित योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित को निर्देशित किया कि पूर्ण कार्यो के गुणवत्ता की जॉच करा ली जाय तथा यह भी देख लिया जाय कि पानी की सप्लाई कहॉ–कहॉ हो रही है।

उन्होने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मुख्यमंत्री आवास (ग्रामीण), जननी सुरक्षा, फैमली आईडी, एसबीएम (जी) फेज–2 व्यक्तिगत शौचालय, राज्य योजना, आईसीडीएस पोषण अभियान, प्रोजेक्ट अलंकार, नई सड़को का निर्माण, निर्माण कार्य (सीएमआईएस) सहित संचालित विकास योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा किया। उन्होने यह भी कहा कि जिन परियोजनाओं की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नही पायी गयी है, उनके संबंध में संबंधित अधिकारी अपेक्षित प्रगति करना सुनिश्चित करें। मण्डलायुक्त ने कहा कि विकास कार्यो का सीधा संबंध आमजन के जीवन से है, इसलिए सभी अधिकारी फिल्ड में जाकर कार्यो का भौतिक सत्यापन करें। उन्होने यह भी कहा कि अपूर्ण परियोजनाओं को शीघ्रअतिशीघ्र पूर्ण करते हुए संबंधित विभाग को हैण्डओवर किया जाय। उन्होने आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण आख्या पोर्टल पर अपलोड करें, जिससे जिले की रैंक बेहतर हो सकें।

बैठक में उन्होने गेहूँ खरीद, खरीफ गोष्ठी, खाद–बीज उपलब्धता, नहरों में पानी की स्थिति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दियें। बैठक का संचालन संयुक्त विकास आयुक्त निर्मल कुमार द्विवेदी ने किया। बैठक में जिलाधिकारी बस्ती श्रीमती कृत्तिका ज्योत्स्ना, सिद्धार्थनगर के शिवशरणप्पा जी.एन. , संत कबीर नगर के आलोक कुमार, मुख्य विकास अधिकारी सार्थक अग्रवाल, बलराम सिंह, जयकेश त्रिपाठी, उप निदेशक अर्थ एवं संख्या पूनम, तीनों जिलों के सीएमओ, डीपीआरओ धनश्याम सागर, समाज कल्याण अधिकारी लालजी यादव, भूमि संरक्षण अधिकारी डा. राजमंगल चौधरी, जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेश कुमार, यूनिसेफ के सुरेन्द्र शुक्ला, वरिष्ठ सहायक सुहेल अहमद सहित मण्डल स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

सूदखोरों से परेशान युवक ने एसपी ऑफिस में पेट्रोल पियाः जांच में जुटी पुलिस

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । सूदखोरों के उत्पीड़न से परेशान एक युवक ने शनिवार को पुलिस कार्यालय परिसर में पेट्रोल पीकर आत्महत्या का प्रयास किया। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। युवक को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत में उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

यह घटना दुबौलिया थाना क्षेत्र के पाहीमाफी गांव निवासी 27 वर्षीय सुरेश कुमार पुत्र मेहिलाल के साथ हुई। सुरेश शनिवार को पेट्रोल लेकर पुलिस कार्यालय पहुंचा और वहां उसने दो गिलास पेट्रोल पी लिया। इस दृश्य को देखकर पुलिसकर्मियों में अफरातफरी मच गई और उन्होंने तुरंत युवक को चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई।

युवक ने बताया कि उसने तीन लोगों से 10–10 हजार रुपये 10 प्रतिशत मासिक ब्याज पर उधार लिए थे। उसका आरोप है कि ऋण देने वाले लोग लगातार उस पर दबाव बना रहे थे और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। इसी उत्पीड़न से तंग आकर उसने यह आत्मघाती कदम उठाया।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। युवक के परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। अस्पताल में उसका उपचार जारी है और चिकित्सक उसकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

क्षेत्राधिकारी सदर सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि युवक द्वारा लगाए गए आरोपों की गंभीरता से जांच कराई जा रही है। पुलिस मामले में आवश्यक साक्ष्य संकलित कर रही है तथा जांच के आधार पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दी पत्रकारिता दिवस पर संगोष्ठी में विमर्श

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती, । हिन्दी पत्रकारिता के प्रकाशन के 200 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। 30 मई 1826 को उदण्ड मार्तण्ड अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ था। आज भी प्रिन्ट मीडिया की विश्वसनीयता कायम है, वर्तमान समय में भी पाठकों को समाचार पत्र को पढ़े बिना चौन नहीं पड़ता है।

उक्त विचार आज प्रेस क्लब बस्ती में आयोजित हिन्दी पत्रकारिता दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि, वरिष्ठ पत्रकार एवं उपज के प्रदेश सचिव जयंत कुमार मिश्र ने व्यक्त करते हुए कहा कि पूरे देश के अन्दर हिन्दी पत्रकारिता दिवस मनाया जा रहा है। पत्रकार विपरीत परिस्थिति में भी अपने धर्म का निर्वाह ईमानदारी एवं निष्ठा से कर रहा है।

संरक्षक प्रकाश चन्द्र गुप्ता ने कहा कि हिन्दी पत्रकारिता का युग कभी खत्म नहीं होगा। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप चन्द्र पाण्डेय ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मनुष्य पत्रकारिता का रॉ मैटेरियल है साथ ही साथ मनुष्य की सोच हमेशा बदलती रहती है, वक्त के सांचे में हम सभी को ढ़लना होगा। वर्तमान समय में पत्रकारिता आसान काम नहीं है।

कार्यक्रम में सर्वेश श्रीवास्तव, अनुराग श्रीवास्तव, अमित सिंह, डा0 रामकृष्ण लाल जगमग, टी0पी0 मिश्रा, राजेश चित्रगुप्त, कौशल ओझा, चन्द्र प्रकाश शर्मा, अंकुर वर्मा, स्कन्द शुक्ल, पुनीत ओझा, डा0 वी0के0 वर्मा ने कहा कि डिजिटल मीडिया के युग में भी प्रिन्ट मीडिया का महत्व कम नहीं हुआ है। आज हिन्दी पत्रकारिता के गौरव का दिन है। कार्यक्रम का संचालन प्रेस क्लब अध्यक्ष विनोद कुमार उपाध्याय ने किया।

हिन्दी पत्रकारिता दिवस पर प्रेस क्लब बस्ती की ओर से इस वर्ष वरिष्ठ पत्रकार जयंत कुमार मिश्र को 11000৳–(ग्यारह हजार) की राशि, शील्ड एवं अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में जिला सूचना अधिकारी हितेन्द्र चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार सुरेन्द्र पाण्डेय, संजय विश्वकर्मा, विपिन बिहारी त्रिपाठी, राकेश चन्द्र बिन्नू, बशिष्ठ पाण्डेय, दिलीप सिंह, जीशान हैदर रिजवी, राजेश पाण्डेय, गोकरन नारायण पाण्डेय, सुनील मिश्रा, राजेन्द्र उपाध्याय, चन्द्रभूषण श्रीवास्तव, संदीप गोयल, दिनेश पाण्डेय, अनिल सिंह, रमेश मिश्रा, संतोष पाल, रजनीश त्रिपाठी, राकेश गिरि, अरूणेश श्रीवास्तव, अमर वर्मा, देवेन्द्र पाण्डेय, सुरेश सिंह गौतम, लालू प्रसाद यादव, रामसजीवन दूबे, रत्येन्द्र पाण्डेय, राधेकृष्ण द्विवेदी, अमर सोनी, भवानी तिवारी, अभिषेक कुमार, अरूण कुमार, विवेक त्रिपाठी, हरिओम लल्ला, ईमान करीम, रत्नेश्वर मिश्र, धर्मेन्द्र पाण्डेय, आशुतोष नारायण मिश्र, अभिनव कुमार दूबे, शिवराज सिंह, श्रीराम, राकेश तिवारी, दिलीप पाण्डेय, विश्राम प्रसाद, शहंशाह आलम, रत्नाकर, दशरथ, सर्वजीत सिंह, दिनेश कुमार पाण्डेय, आलोक श्रीवास्तव, डा0 उमेश चन्द्रा, दिनेश सिंह, राजवन्त, ओम प्रकाश पाण्डेय, वीर कुमार तिवारी, आनन्द गुप्ता, अनिल कुमार पाण्डेय, राजप्रकाश, रितेश कन्नौजिया, जयप्रकाश गौस्वामी, राघवेन्द्र सिंह, ब्रम्हसेवक पाण्डेय, संजय, कौशल मिश्र, कपीश मिश्र, इन्द्रभूषण चौबे, बजरंग प्रसाद शुक्ल, डा0 नवीन सिंह, अश्वनी शुक्ल, बसंत लाल सहित अन्य लोग मौजूद थे।

आंधी में गिरे आम के पेड़ को लेकर विवादः एसपी से दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई, न्याय दिलाने की मांग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । लालगंज थाना क्षेत्र के महसो निवासी रामराज त्रिपाठी पुत्र कृष्ण त्रिपाठी ने उप जिलाधिकारी सदर और पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर आंधी तूफान में गिरे अपने आम के पेड़ की लकड़ी वापस दिलाने और अनावश्यक रूप से विवाद खड़ा करने वाले विपक्षियों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराकर न्याय दिलाने की मांग किया है। रामराज त्रिपाठी का कहना है कि वे निरन्तर न्याय के लिये भटक रहे हैं किन्तु कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

उच्चाधिकारियों को दिये पत्र में रामराज त्रिपाठी ने कहा है कि बाग में आँधी तूफान से आम का पेड़ गिर गया था, जिसको गत 25 मई को ट्राली पर लदवाकर घर लेकर जा रहे थे कि महसों चौकी इन्चार्ज ने उन्हें रोका और कहा कि पहले एसडीएम से लिखवा कर लाओ तब लकड़ी लेकर जाना, उन्होने लकड़ी को ट्राली से उतरवा दिये। गाटा संख्या–190 बाग मालिकान नम्बर है और जिस पर उनका नाम राजस्व अभिलेखो में दर्ज हैं। उक्त पेड़ उनके पिता श्रीकृष्ण द्वारा लगभग 65 वर्ष पूर्व लगाया गया था। विपक्षी ठाकुर प्रसाद पुत्र जगरनाथ, अशोक कुमार पुत्र कमलाकान्त, राजा, दीपक, मुन्ना, बलराम पुत्रगण ठाकुर प्रसाद स्थानीय पुलिस से सॉठ–गाँठ करके उनके आम की लकड़ी को रोका गया है। विपक्षीगण लकड़ी, झाड़, पत्ती सब उठा ले गये। कानूनगो ने विपक्षीगणो की साजिश में होकर गलत ढंग से पैमाइश करके मालिकान को नापकर, विपक्षी को दे दिया और विपक्षी के आराजी संख्या–192 जो कृषि योग्य भूमि है, उनके बाग मालिकान नम्बर–190 में दर्शा दिया। आराजी संख्या–190 उनके नाम से दर्ज है। विपक्षी द्वारा पूरा लकड़ी ले लिया गया और आमादा फौजदारी है। उप जिलाधिकारी सदर ने एस०ओ० लालगंज को आदेश दिया गया कि लकडी लदवाकर उनके घर भेजवाये लेकिन चौकी इन्चार्ज ने ऐसा नहीं किया। कानूनगो गत 27 मई को गलत पैमाइश करके झगड़ा लगाकर चले गये, बाग 65 वर्ष पुराना है, जिस पर उनके बाप–दादा जमाने से काबिज है। उन्होने पूरे मामले की जांच और दोषियों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराकर न्याय दिलाने की मांग किया है।

जनसंख्या की बनावट और राजनीति

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेंडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 31 मई 2026 रविवार

सम्पादकीय

परीक्षा के लिये सेना क्यों..?

किसी भी परीक्षा के दौरान अगर प्रश्नपत्र लीक होता है या अन्य कोई गड़बड़ी होती है, तो इसका मतलब यही है कि उसके संचालन से जुड़ा तंत्र परीक्षा की शुचिता को सुनिश्चित कराने में नाकाम रहा। हाल ही में प्रश्नपत्र लीक होने के बाद नीट–यूजी परीक्षा को जिस तरह रद्द किया गया, उससे साफ है कि पहले हुई ऐसी कई घटनाओं के बावजूद आयोजन में हर हाल में शुचिता तय करने को लेकर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने जरूरी सबक नहीं सीखा। नतीजतन, नीट की परीक्षा के प्रश्नपत्र फिर अवैध रूप से बाहर हुए और ऊंची कीमतों पर बेचे गए। विडंबना यह है कि इस भ्रष्ट लेन–देन और इसके जरिए परीक्षा में कामयाब होने की कोशिश करने वाले कुछ लोगों की करतूतों का खमियाजा करीब बाईस लाख उन विद्यार्थियों को उठाना पड़ा, जिन्होंने ईमानदारी से अपनी मेहनत के बूते परीक्षा दी थी। ऐसे विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों की पीड़ा प्रश्नपत्र लीक करने और उसका फायदा उठाने वाले गिरोहों की हरकत के खुलासे से उपजे शोर में दब कर रह गई।

विचित्र है कि इस घटना की परतें खुलने के बाद शीर्ष स्तर पर इसकी जिम्मेदारी तय करने तथा संचालन के तंत्र में पाई गई खामी को पूरी तरह दुरुस्त करने या इस मसले पर अधिकतम सख्ती बरतने के बजाय सुरक्षित तरीके से परीक्षा कराने के लिए अब सेना का सहारा लेने की खबर आई है। यानी एक तरह से यह स्वीकार कर लिया गया है कि सरकार का मौजूदा तंत्र इस परीक्षा का स्वच्छ तरीके से संचालन कर पाने में सक्षम नहीं है और इसीलिए सेना के सहारे नीट–यूजी परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी।

गौरतलब है कि नीट परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने से जुड़े मामले में पूरी प्रक्रिया की समीक्षा के लिए हुई बैठक में प्रश्नपत्र तैयार करने और उनकी छपाई से लेकर परिवहन, सुरक्षा और परीक्षा केंद्र तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के सभी पहलुओं पर विचार किया गया। इसके बाद अब 21 जून को दोबारा होने वाली नीट परीक्षा में प्रश्नपत्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए वायुसेना की मदद लेने पर सहमति बनी। अगर यह प्रस्ताव अमल में आता है, तो किसी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के आयोजन और संचालन में सेना के औपचारिक रूप से शामिल होने का यह पहला मौका होगा।

सवाल है कि इससे पहले नीट या अन्य परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों का उदाहरण सामने होने के बावजूद यह स्थिति आखिर क्यों पैदा हुई कि सरकार को परीक्षा के स्वच्छ संचालन के लिए अपने तंत्र और पुलिस पर भरोसा नहीं रहा। हालांकि खबरों के मुताबिक सेना की भूमिका केवल लॉजिस्टिक समन्वय, आपातकालीन स्थितियां पैदा होने या मौसम में तेज उतार–चढ़ाव के बीच सुरक्षित परिवहन तक सीमित रहने की बात कही गई है और परीक्षा की निगरानी सेना से नहीं कराई जाएगी। मगर यह देखने की बात होगी कि सेना की मदद का दायरा क्या होता है।

आमतौर पर किसी प्राकृतिक आपदा से हुई तबाही और अन्य आपात स्थितियों में युद्ध स्तर पर बचाव कार्य आदि के लिए जरूरत पड़ने पर सरकार सेना या सशस्त्र बलों को तैनात करती रही है। यह एक अफसोसनाक स्थिति है कि आज के दौर में परीक्षाओं के संचालन के मामले में पहले के मुकाबले बेहतर संसाधनों, हर स्तर पर निगरानी की तकनीकी सुविधा और व्यापक डिजिटल तंत्र के बावजूद प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाएं हो रही हैं और इसे रोकने के लिए सरकार के सामने सेना की मदद लेने की नौबत है।

जानलेवा होता एसी

इसमें दोराय नहीं कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास ने मानव जीवन की राह को आसान बना दिया है। मगर तकनीक तभी सुविधाजनक होती है, जब उसे कौशल, संवेदनशीलता और सतर्कता के दायरे में रखा जाए। जरा–सी लापरवाही पर यह सुविधा कब जोखिम में बदल जाए, इसका आभास भी नहीं हो पाता है। बीते बुधवार की रात को दिल्ली के हौजखास इलाके में ऐसी ही एक घटना सामने आई, जिसमें एयर कंडीशनर यानी एसी में विस्फोट से लगी आग की वजह से सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी धनेंद्र कुमार की जान चली गई।

वह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। एसी में विस्फोट किन कारणों से हुआ, यह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन सवाल है कि जिन उपकरणों को घरों में सुविधा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उनमें तकनीकी खराबी से पैदा होने वाले खतरे से सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या ऐसी घटनाओं में जवाबदेही तय किए जाने की जरूरत नहीं है?

गौरतलब है कि हर साल गर्मी में एयर कंडीशनर की वजह से हादसों का सिलसिला शुरू हो जाता है। पिछले एक माह में देश भर में एसी में विस्फोट या आग लगने से मौत की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। निस्संदेह इस तरह के उपकरणों का इस्तेमाल करते समय लोगों को भी सावधानी बरतनी चाहिए। खासकर एसी के मामले में ज्यादा सतर्कता की जरूरत होती है, क्योंकि इससे और भी कई तरह के जोखिम होते हैं।

मसलन, बहुत ठंडे कमरे से अचानक तेज गर्मी में जाने से शरीर का तापमान बदल जाता है, जिससे मस्तिष्काघात का खतरा बढ़ जाता है। एयर कंडीशनर कमरे की नमी को सोख लेता है, जिससे सांस और त्वचा संबंधी विकार पैदा हो सकते हैं। यही नहीं, इस उपकरण से गैस का रिसाव होने पर बंद कमरे में दम घुटने जैसी जानलेवा स्थिति पैदा हो सकती है। यानी किसी भी तकनीकी संसाधन के उपयोग के साथ ही उनके संचालन के लिए एक मुकम्मल प्रशिक्षण भी बेहद जरूरी है। जरूरत इस बात की भी है कि ऐसे उपकरणों में तकनीकी खराबी की वजह से कोई हादसा न हो, इसके लिए सरकार की ओर से स्पष्ट नीति एवं नियम बनाए जाएं, ताकि इनके निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों से समझौता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।

–संजय सक्सेना–

भारत के कई राज्यों और जिलों में पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या की बनावट (डेमोग्राफी चेंज) में जो असामान्य बदलाव आए हैं, उस पर लगाम लगाने के लिये मोदी सरकार ने कड़े कदम उठाना शुरू कर दिया हैं। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। गौरतलब हो, घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाला अस्वाभाविक जनसांख्यिकीय बदलाव किसी भी राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। यह बात स्वयं केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी कई बार कह चुके हैं। इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए 26 मई 2026 को केन्द्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से हो रहे अस्वाभाविक जनसांख्यिकीय बदलाव की जांच के लिए एक उच्च–स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति साल भर में अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंप देगी, जिसके बाद मोदी सरकार कई कड़े कदम उठा सकती है। वैसे यह मसला अचानक नहीं उठा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से देश के सामने जो दृष्टि रखी थी, इस समिति का गठन उसी की कड़ी है। इस घोषणा को 11 सितंबर 2025 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी भी मिल गई थी। अब नौ महीने बाद इस समिति ने आधिकारिक रूप से काम करना शुरू कर दिया है।

इस उच्च–स्तरीय समिति की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर को सौंपी गई है। न्यायमूर्ति नावलेकर की छवि एक निष्पक्ष और अनुभवी विधिवेत्ता की रही है, इसलिए उनके नेतृत्व में इस संवेदनशील विषय की जांच को विश्वसनीयता मिलेगी। समिति में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा (सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी), बालाजी श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त पुलिस सेवा के अधिकारी) और जानी–मानी अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। जनगणना आयुक्त भी इस समिति के सदस्य होंगे तथा गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (विदेशी–1 प्रकोष्ठ) इस समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। इस प्रकार यह समिति न्यायिक, प्रशासनिक, पुलिस और आर्थिक के चारों क्षेत्रों के विशेषज्ञों का एक संतुलित समूह है। यह समिति अवैध प्रवासन और दूसरे अस्वाभाविक कारणों से पूरे भारत में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। यह पता लगाया जाएगा कि किन जिलों और किन क्षेत्रों में जनसंख्या की धार्मिक अथवा भाषाई संरचना में असामान्य रूप से बदलाव आया है। यह समिति धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर जनसंख्या में होने वाले असामान्य बदलावों के स्वरूप की समीक्षा करेगी और इसके लिए एक सुनियोजित तथा समय सीमा वाला समाधान भी प्रस्तुत करेगी।

समिति यह भी खंगालेगी कि अवैध रूप से देश में घुसकर बस जाने वाले लोग कौन हैं, वे किस मार्ग से आते हैं और किस प्रकार उन्हें मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड अथवा राशन कार्ड जैसे सरकारी पहचान के दस्तावेज मिल जाते हैं। यह एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पहलू है क्योंकि दस्तावेज मिल जाने के बाद ये लोग व्यवस्था के भीतर इस प्रकार घुलमिल जाते हैं कि उन्हें बाहर करना कठिन हो जाता है। समिति को एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। आवश्यकता पड़ने पर यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। समिति राज्य सरकारों, सीमा सुरक्षा बल, खुफिया एजेंसियों तथा जनगणना के आंकड़ों से तथ्य एकत्र करेगी। विभिन्न जिलों का दौरा कर वहां के स्थानीय प्रशासन और लोगों से सीधी बातचीत भी इसके कार्य का हिस्सा होगी। रिपोर्ट में न केवल समस्या का विश्लेषण होगा, बल्कि उससे निपटने के ठोस उपाय भी सुझाए जाएंगे जिन्हें सरकार नीति के रूप में लागू कर सके।

इस समिति के गठन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि पहली बार इस विषय को एक व्यवस्थित और संस्थागत ढांचे में रखकर देखा जाएगा। अब तक यह मसला केवल राजनीतिक बहसों तक सीमित रहता था, किंतु अब एक न्यायिक और प्रशासनिक जांच के जरिए इसके तथ्यात्मक आधार तैयार होंगे। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड और झारखंड के कुछ जिलों में जनसंख्या की बनावट में जो बदलाव देखे गए हैं, उनका वैज्ञानिक और तथ्यात्मक अध्ययन पहली बार इतने बड़े स्तर पर होगा। पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशियों के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी के बाद सीमा क्षेत्रों में हड़कंप की स्थिति है, जो यह दर्शाती है कि यह समस्या कितनी गहरी और व्यापक है। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार उन राज्यों और जिलों को चिह्नित कर सकेगी जहां तत्काल कार्रवाई आवश्यक है। घुसपैठियों को सरकारी दस्तावेज मिलने की प्रक्रिया में जो खामियां हैं, उन्हें बंद करने के लिए नए नियम बनाए जा सकेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यह आवश्यक है कि देश को पता हो कि उसकी सीमाओं के भीतर कौन रह रहा है और किस उद्देश्य से।

सरकार के इस कदम पर राजनीतिक प्रतिक्रिया मिली जुली रही। कुछ राजनीतिक दलों ने इसे कानून और सुरक्षा का मामला बताते हुए सख्ती की मांग की, जबकि मानवाधिकार समूह और सामाजिक कार्यकर्ता मानवीय दृष्टिकोण, दस्तावेजों की सुलभता और रोजगार सृजन पर जोर दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने 26 मई 2026 को देश में घुसपैठ और अन्य कारणों से हो रहे अस्वाभाविक जनसांख्यिकीय बदलाव की जांच के लिए समिति का गठन किया है। मोदी सरकार के इस कदम की कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और एआईएमआईएम के नेताओं ने तीखी आलोचना की है। उनका आरोप है कि यह समिति मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने के लिए बनाई गई है और इसका उपयोग बड़े पैमाने पर मताधिकार छीनने या हिरासत का आधार तैयार करने के लिए किया जाएगा। विपक्षी नेताओं ने असम के एनआरसी अनुभव का हवाला देते हुए इसे एक चुनावी हथियार करार दिया। इन नेताओं का कहना है कि यह समिति ऐसे समय गठित हुई है जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में घुसपैठ का मुद्दा राजनीतिक विमर्श के केंद्र में रहा था और भाजपा ने इसी मुद्दे पर तृणमूल सरकार को हराकर पूर्ण बहुमत हासिल किया।

कानूनी विशेषज्ञों ने भी इस समिति के व्यापक जनादेश पर सवाल उठाए हैं। उनके अनुसार जनसांख्यिकीय बदलाव जैसी शब्दावली भारतीय कानून में परिभाषित नहीं है, जिससे इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। सत्ता पक्ष इसे राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यता बता रहा है तो विपक्ष इसे आगामी चुनावों से जोड़कर देख रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि समस्या के जड़ में अक्सर रोजगार, भूमि–अधिकार और शिक्षा की कमी होती है, जिन्हें दूर किए बिना केवल प्रवासन नियंत्रण से स्थाई समाधान नहीं निकलेगा। केंद्र ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे त्वरित वेरिफिकेशन अभियान चलाएँ, स्थानीय प्रशासन को संसाधन उपलब्ध कराएं और सांस्कृतिक संस्थाओं की रक्षा के उपाय अपनाएँ। अधिकारियों का कहना है कि समाधान में पारदर्शिता, न्याय और समावेशन पर बल होगा ताकि सामाजिक रंजिश और हिंसा की आशंका को रोका जा सके। संक्षेप में कहें तो यह समिति उस बड़े प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश है जो वर्षों से अनुत्तरित रहा है कि आखिर कौन, कहां से, कैसे और किसकी मिलीभगत से देश की जनसंख्या की बनावट को बदल रहा है। इसका उत्तर जब सामने आएगा, तभी इस समस्या का स्थायी समाधान संभव हो सकेगा।

चुनौतियों के दौर से गुजरती कांग्रेस

–निरंजन परिहार–

भारतीय राजनीति में कांग्रेस के लिए ये बड़ी चुनौतियों का दौर है। एक ओर बीजेपी आक्रामक संगठन, मजबूत नेतृत्व और वैचारिक स्पष्टता के साथ अपनी संगठन और सत्ता दोनों को विस्तार दे रही है, तो उसके मुकाबले कांग्रेस अपने संगठनात्मक पुनर्निर्माण और वैचारिक पुनर्स्थापना की नई प्रक्रिया में है। कांग्रेस के सामने चुनौती केवल चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रभावी नेतृत्वकारी नई टीम तैयार करने की है, जो आने वाले लंबे राजनीतिक संघर्ष में पार्टी को आगे ले जा सके। यही कारण है कि आज राहुल गांधी को संसद और संगठन दोनों स्तर पर युवा, ऊर्जावान और वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध साथियों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है। राहुल गांधी चाहे, तो राज्यसभा चुनाव के दरवाजे खुले हैं, जहां पहले से ही बैठे युवा नेताओं शक्ति सिंह गोहिल, नीरज डांगी जैसों की काबिलियत देखकर फिर से राज्यसभा भेजा जा सकता है, तो सचिन पायलट, प्रणीति शिंदे, दीपेंदर हुड्डा, इमरान प्रतापगढ़ी, जिग्नेश मेवानी जैसे नेताओं को संगठन में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देकर युवा पीढ़ी को नया संदेश दिया जा सकता है।

राहुल गांधी ने बीते कुछ वर्षों में जिस प्रकार लगातार वैचारिक राजनीति, सामाजिक न्याय, संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा जैसे मुद्दों को केंद्र में रखा है, उससे यह स्पष्ट हुआ है कि वे कांग्रेस को केवल चुनावी दल के रूप में नहीं, बल्कि एक वैचारिक आंदोलन के रूप में पुनर्गठित करना चाहते हैं। लेकिन किसी भी बड़े राजनीतिक संघर्ष में केवल एक नेता पर्याप्त नहीं होता। उसके साथ ऐसे सहयोगियों की आवश्यकता होती है जो संसद में आक्रामक ढंग से पक्ष रख सकें, संगठन में कार्यकर्ताओं को ऊर्जा दे सकें और देशभर में पार्टी की विचारधारा को मजबूती से आगे बढ़ा सकें। दक्षिण भारत में केसी वेणुगोपाल, डीके शिवकुमार तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जैसे नेता संगठनात्मक, प्रशासनिक और बौद्धिक स्तर पर कांग्रेस की ताकत बने हुए हैं। लेकिन उत्तर दृ पश्चिम भारत में युवा चेहरों को अधिक संगठित तरीके से आगे लाने की आवश्यकता है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से कांग्रेस को ऐसे नेताओं की नई पीढ़ी तैयार करनी होगी जो सामाजिक प्रतिनिधित्व के साथ–साथ वैचारिक स्पष्टता भी रखते हों।

गुजरात से शक्तिसिंह गोहिल और राजस्थान से राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने जिस तरह से संसदीय सक्रियता, संगठनात्मक जिम्मेदारियों और वैचारिक निष्ठा जैसे तीनों स्तरों पर खुद को साबित किया है, वह काबिले तारीफ है। कांग्रेस ने पिछले कुछ वर्षों में डांगी और गोहिल को विभिन्न राज्यों में चुनाव प्रभारी, पर्यवेक्षक और स्क्रीनिंग कमेटियों में संगठनात्मक जिम्मेदारियां देकर राष्ट्रीय नेता के रूप में तैयार किया है। इसी तरह हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, रणदीप सुरजेवाला, दीपेंदर हुड्डा, सचिन पायलट, इमरान प्रतापगढ़ी, प्रणीति शिंदे, गौरव गोगोई, जिग्नेश मेवानी, कन्हैया कुमार, सुखविंदर सिंह सुक्खू और उदय भानु छिब जैसे नेता लोकसभा, विधानसभा और संगठन व प्रशासन दोनों के अनुभव रखने वाले अपेक्षाकृत युवा हैं, जिनकी नई पीढ़ी तथा अपने अपने समाज में मजबूत पकड़ है। गौरव गोगोई संसद में अपनी प्रभावशाली बहस की क्षमता, तो पायलट अपने संतुलित राजनीतिक दृष्टि के कारण कांग्रेस के प्रमुख युवा चेहरों में शामिल हैं। कन्हैया कुमार वैचारिक आक्रामकता और युवाओं से संवाद की क्षमता रखते हैं। जिग्नेश मेवानी और नीरज डांगी सामाजिक न्याय और दलित राजनीति के मुद्दों पर कांग्रेस की आवाज को मजबूती दे सकते हैं। यही मॉडल अब पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर और व्यापक रूप से अपनाने की आवश्यकता है।

वर्तमान में, राहुल गांधी की राजनीति का केंद्र विचारधारा आधारित संघर्ष बनता जा रहा है। इसलिए उन्हें केवल चुनावी प्रबंधकों की नहीं, बल्कि ऐसे राजनीतिक सहयोगियों की आवश्यकता है जो लंबे समय तक उनके साथ चल सकें। यह सहयोग संसद के भीतर भी जरूरी है और सड़क पर होने वाले राजनीतिक आंदोलनों में भी। नीरज डांगी, सचिन पायलट, इमरान प्रतापगढ़ी, प्रणीति शिंदे, गौरव गोगोई, जिग्नेश मेवानी जैसे नेता इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे संसदीय और संगठनात्मक दोनों में राजनीतिक संतुलन रखते हैं। कांग्रेस को अब यह समझना होगा कि युवा नेतृत्व को केवल एकाध बार सांसद दृ विधायक बनाने से काम नहीं चलेगा। उन्हें लंबे राजनीतिक अवसर देने होंगे। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, संगठनात्मक पद, चुनाव प्रबंधन और मीडिया रणनीति जैसे क्षेत्रों में युवा नेताओं की भागीदारी बढ़ानी होगी। यदि पार्टी केवल पुराने नेतृत्व ढांचे पर निर्भर रहती है, तो युवा नेताओं में निराशा बढ़ेगी। इसके विपरीत, यदि डांगी, पायलट, हुडा, प्रतापगढ़ी, प्रणीति जैसे नेताओं को आगे बढ़ाया जाता है, तो यह संदेश जाएगा कि कांग्रेस में नई पीढ़ी के लिए जगह है।

अपने संसदीय जीवन में राहुल गांधी जब पहली बार लोकतंत्र की आवाज बनने निकले थे, तो उनके लिए एक टीम बनी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, सचिन पायलट आदि कुछ चेहरे थे, जो उस टीम में थे। फिर जब राहुल कांग्रेस अध्यक्ष बने, तो भारत की चारों दिशाओं के राज्यों और हर समाज के अलग अलग वर्गों को उनकी टीम में प्रतिनिधित्व मिला। जिसमें बाद के दिनों में, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, रवनीत सिंह बिट्टू, हार्दिक पटेल, प्रियंका चतुर्वेदी, सुष्मिता देव, नीरज डांगी, नवजोत सिंह सिद्धू, शक्ति सिंह गोहिल, गौरव वल्लभ, जयवीर शेरगिल, शहजाद पूनावाला, दिव्या स्पंदना, सुनील जाखड़ जैसे कई नाम बाद में उस सूची जुड़ते गए। लेकिन कांग्रेस के सत्ता से जाते ही, इनमें से कई सारे नेता कांग्रेस छोड़कर चले गए और बड़े नामों में, सचिन पायलट सहित शक्तिसिंह गोहिल और नीरज डांगी जैसे कुछ ही लोग बचे हैं। इसीलिए, कांग्रेस को और खास तौर से राहुल गांधी को अपनी राजनीतिक यात्रा को ताकतवर बनाने के लिए, विशेष रूप से दलित, पिछड़े और युवा वर्ग में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करनी होगी, और उस वर्ग को प्रतिनिधित्व आधारित राजनीति के लिए भी गंभीरता से आगे लाना होगा।

बीजेपी ने पिछले वर्षों में सामाजिक विस्तार की राजनीति के जरिए कई वर्गों में अपनी पैठ बनाई है। न तो राहुल गांधी और न ही कांग्रेस, बीजेपी की इस ताकत का मुकाबला केवल वैचारिक भाषणों से नहीं कर सकतीय उसे जमीन पर ऐसे नेताओं को आगे करना होगा जो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच भरोसा पैदा कर सकें।

पंजाब त्रिस्तरीय निकाय चुनाव का संकेत

– कमलेश पाण्डेय–

पंजाब के त्रिस्तरीय शहरी निकाय चुनाव– नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत– सिर्फ स्थानीय सत्ता का संघर्ष नहीं हैं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव का "सेमीफाइनल" माने जा रहे हैं। ये चुनाव सिर्फ स्थानीय प्रशासनिक चुनाव नहीं हैं, बल्कि ये पंजाब की बदलती क्षेत्रीय राजनीति, राष्ट्रीय दलों की रणनीति और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की संघीय लोकतांत्रिक छवि से भी जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि 2026 के इन चुनावों को 2027 विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा "पॉलिटिकल टेस्ट" माना जा रहा है। पंजाब नगर निकाय चुनाव 2026 के चुनाव आयोग और मतगणना से जुड़े अब तक के मुख्य आंकड़े निम्नलिखित हैं– कुल 102 शहरी निकायों– नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों– में चुनाव हुए, जहां मतदान प्रतिशत लगभग 63.94ः दर्ज किया गया। नगर पंचायतों में सबसे अधिक 76.18ः मतदान हुआ। नगर निगम क्षेत्रों में सबसे कम लगभग 59.91ः मतदान दर्ज हुआ। नगर परिषदों में लगभग 65.06ः मतदान हुआ। कुल 1,896 वार्डों के लिए मतदान कराया गया। लगभग 7,555 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से 79 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए।

इस चुनाव में अब तक आए नतीजों और घोषित रुझानों के अनुसार आम आदमी पार्टी ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी बनी है। आप ने लगभग 886 वार्ड जीते। जबकि कांग्रेस ने लगभग 358 वार्ड जीते। वहीं शिरोमणि अकाली दल (।क) को 191दृ192 वार्ड, भाजपा को 172 वार्ड, बसपा को 7 वार्ड, और निर्दलीय उम्मीदवारों को 251 वार्ड पर जीत मिली। वहीं सीट प्रतिशत के हिसाब से मोटे अनुमान के मुताबिक, आप ने लगभग 50ः के आसपास वार्ड, कांग्रेस ने लगभग 20ः वार्ड, एसएडी ने लगभग 9ः वार्ड, बीजेपी ने लगभग 7ः वार्ड और बीएसपी सहित अन्य ने लगभग 14ः सीटो पर जीत व बढ़त हासिल की है।

जहाँ तक वोट प्रतिशत का सवाल है, तो विभिन्न मीडिया रिपोर्टों और संकलित रुझानों के अनुसार दल और अनुमानित वोट प्रतिशत इसप्रकार हैं– आम आदमी पार्टी को लगभग 41दृ44ः, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लगभग 24दृ27ः, भारतीय जनता पार्टी को लगभग 13दृ16ः, शिरोमणि अकाली दल को लगभग 10दृ13ः और निर्दलीय व अन्य लगभग 5दृ8ः वोट हासिल हुए हैं। इस प्रकार आप का वोट शेयर सबसे अधिक रहा, जबकि कांग्रेस दूसरे नंबर पर, शिरोमणि अकाली दल तीसरे नम्बर पर रही और इसने ग्रामीण–सिख बेल्ट में कुछ आधार वापस पाया, जबकि बीजेपी चौथे स्थान पर जाकर कुछ शहरी पॉकेट्स तक सीमित रही। आधिकारिक वोट प्रतिशत का सबसे विश्वसनीय डेटा मब.चनदरंइ.हवअ.पदद्ध पर उपलब्ध है। अब जिस तरह से इन चुनावों के नतीजे आए हैं, उसने यह तय कर दिया है कि राज्य की राजनीति में आम आदमी पार्टी की जमीन मजबूत हो रही है और कांग्रेस, भाजपा, एसएडी जैसे विपक्षी दल बचाव की मुद्रा में आ चुके हैं। लिहाजा पंजाब त्रिस्तरीय शहरी निकाय चुनाव के दलगत, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सियासी मायने अहम हैं।पहला, आप (।।च) अपने जनविश्वास की परीक्षा में सफलरू मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के लिए यह चुनाव सत्ता में आने के बाद शहरी जनसमर्थन मापने का अवसर था, जो बड़ी जीत के साथ उम्मीदों पर खरा उतरा। निकायों में मजबूत जीत मिली है। इससे यह संदेश गया कि पंजाब में आप सिर्फ "वैकल्पिक प्रयोग" नहीं, बल्कि स्थायी राजनीतिक शक्ति बन चुकी है।

डीएम ने राजस्व कर्मचारियों को दिए सख्त निर्देश, खतौनी से लेकर किसान रजिस्ट्री तक, अभिलेखों की शुद्धता पर जोर

संवाददाता—बलरामपुर। जिले में राजस्व अभिलेखों को त्रुटिरहित बनाने के प्रति प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने तहसील सदर में राजस्व निरीक्षकों और लेखपालों के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में रियल टाइम खतौनी, किसान रजिस्ट्री और आगामी जनगणना की तैयारियों की प्रगति पर गहन चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि भूमि अभिलेखों की शुद्धता शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि खतौनी से संबंधित सभी प्रविष्टियों को समय पर अपडेट किया जाए और किसी भी त्रुटि को तत्काल ठीक किया जाए। उन्होंने राजस्व रिकॉर्ड की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए अधिकारियों को जवाबदेही के साथ कार्य करने पर जोर दिया। बैठक में धारा–34 के तहत लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने पूर्व में जारी आदेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा और चेतावनी दी कि अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भूमि अभिलेखों के शुद्धीकरण अभियान के तहत मृतक खातेदारों और शून्य गाटा वाले नामों को नियमानुसार हटाने पर भी विशेष बल दिया गया।

वैदिक मंत्रों के बीच युवा बार एसोसिएशन ने ली शपथ

संवाददाता—बलरामपुर। सदर तहसील सभागार में जिला युवा बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर अयोध्या स्थित मणिराम दास छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने न्याय और जनसेवा के प्रति समर्पित रहने का संदेश दिया। समारोह की शुरुआत शपथ ग्रहण से हुई। विशेष सत्र न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) अवधेश कुमार ने अध्यक्ष और महामंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनूप कुमार पांडे ने अन्य निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुगेंद्र उपाध्याय और महामंत्री श्याम सुंदर मिश्र सहित अन्य पदाधिकारियों ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान जयनारायण पांडे ने सभी पदाधिकारियों को प्रमाण–पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार श्रीवास्तव ने बार और बेंच के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पीड़ित व्यक्ति न्याय की उम्मीद लेकर अधिवक्ताओं के पास आता है, इसलिए अधिवक्ताओं का दायित्व है कि वे अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करें। वरिष्ठ अधिवक्ता रवीन्द्र यादव ने नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने विश्वास जताया कि युवा नेतृत्व अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा करेगा और संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। अपने आशीर्वचन में महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि अधिवक्ताओं का कार्य केवल मुकदमों की पैरवी तक सीमित नहीं है। उन्हें पीड़ित और वंचित लोगों को न्याय दिलाने की दिशा में ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से निष्पक्षता, सेवा और समर्पण की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया। समारोह के अंत में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार मिश्रा ने सभी विजयी पदाधिकारियों को बधाई दी और उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं व्यक्त कीं। इस अवसर पर जिला बार संघ के अध्यक्ष मुर्तुजा हुसैन, महामंत्री संजय तिवारी सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता और गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

11 गाड़ियों से लाकर 453 नेपाली युवक–युवतियां नेपाल को सौंपे गए,नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए ठगी में थे शामिल

संवाददाता—महराजगंज। नेपाली युवकों और युवतियों को नौकरी का प्रलोभन देकर नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए कथित ठगी कराने के आरोप में 453 नेपाली नागरिकों को कुशीनगर पुलिस ने नेपाल पुलिस को सौंपा है। यह कार्रवाई नेपाल दूतावास, नई दिल्ली से प्राप्त शिकायत के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने की। इसके तहत कुशीनगर जिले में रह रहे 453 नेपाली नागरिकों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत ग्यारह वाहनों से शनिवार की दोपहर सोनौली सीमा पर लाकर नेपाल पुलिस को सौंपा गया। नेपाल दूतावास को शिकायत मिली थी कि कुशीनगर जनपद में बड़ी संख्या में नेपाली नागरिकों को कथित चेन मार्केटिंग सिंडिकेट एवं ऑनलाइन ठगी से जुड़ी गतिविधियों में जबरन शामिल किया गया है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि कुछ लोगों को अवैध रूप से बंधक बनाकर उनके मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है। दूतावास ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय अधिकारियों से हस्तक्षेप कर संबंधित व्यक्तियों को मुक्त कराने और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। कसया थाना क्षेत्र में संचालित नेटवर्क मार्केटिंग की गतिविधियों को लेकर कई लोगों ने भी पुलिस से शिकायत की थी। आरोप था कि बेरोजगार युवाओं को नौकरी और अधिक आय का लालच देकर नेटवर्क से जोड़ा गया तथा उनसे धनराशि जमा कराई गई। बाद में निवेश की गई रकम वापस नहीं मिलने पर पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत की।

मामले में बड़ी संख्या में नेपाली नागरिकों के प्रभावित होने की जानकारी सामने आने पर पीड़ितों ने न्याय पाने की आस में दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास से संपर्क किया। दूतावास की पहल पर कुशीनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 453 नेपाली नागरिकों को सोनौली सीमा तक पहुंचाया, जहां उन्हें नेपाल पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। नेपाल पुलिस ने सभी लोगों को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। कोतवाल महेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि सभी 453 नेपाली नागरिकों को नेपाल पुलिस सीमा से अपने साथ लेकर चली गई है। एसपी रुपनदेही जनक बहादुर शाही ने बताया कि जांच के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि इनमें कौन लोग ठगी के शिकार हैं और कौन लोग कथित नेटवर्क मार्केटिंग की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थे। जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विवाहिता की मौत, पति समेत 5 पर केस, दहेज प्रताड़ना का आरोप

संवाददाता—गोण्डा। जिले के खरगूपुर थाना क्षेत्र के मोफिया गांव में 26 वर्षीय जरीना बेगम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के पिता निजामुद्दीन ने पति मोहम्मद हुसैन सहित पांच लोगों पर दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाते हुए खरगूपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

दर्ज मुकदमे में जरीना के पति मोहम्मद हुसैन, ससुर इंसान अली, सास शकीना, देवर नफीस और ननद तबस्सुम बानो को नामजद किया गया है। पिता ने आरोप लगाया है कि ये सभी लोग जरीना को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। खरगूपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिसकी जिम्मेदारी सीओ नगर को सौंपी गई है।

बहराइच जिले के ललित नगर निवासी निजामुद्दीन ने अपनी तहरीर में बताया कि उन्होंने पांच साल पहले अपनी बेटी जरीना की शादी मुस्लिम रीति–रिवाज के अनुसार मोहम्मद हुसैन से की थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले कम दहेज का ताना मारते हुए जरीना के साथ मारपीट कर उसे प्रताड़ित कर रहे थे। निजामुद्दीन के अनुसार, उनकी बेटी फोन पर लगातार उन्हें प्रताड़ना के बारे में बताती थी। उसने पिछली रात भी फोन कर आशंका जताई थी कि ससुराल वाले उसने साथ कुछ भी कर सकते हैं। उसी रात संदिग्ध परिस्थितियों में जरीना की मौत हो गई। ससुराल वालों ने उन्हें फोन पर बताया कि जरीना ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पिता ने मौके पर पहुंचकर देखा कि बेटी का शव कमरे में पंखे के हुक से रस्सी के फंदे पर लटका था। उन्हें पूरा विश्वास है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उनकी बेटी की हत्या कर उसे फांसी पर लटकाया गया है।

खरगूपुर थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

विधायक व डीएम ने नकद सहायता के साथ आवास देने का दिया निर्देश

संवाददाता—श्रावस्ती। 13 मई को आई आंधी में घायल हुए 13 वर्षीय अमित गुप्ता के परिवार से शनिवार को श्रावस्ती विधायक रामफेरन पांडेय ने डीएम रेडक्रास अध्यक्ष अन्नपूर्णा गर्ग के साथ मुलाकात की। इस दौरान पीड़ित की मां को सांत्वना देते हुए हर संभव सहायता देने की घोषणा की। इस दौरान विधायक ने 11 हजार रुपये की नगद सहायता देते हुए पीड़ित के इलाज का खर्च उठाने की घोषणा की। वहीं डीएम ने सोशल मीडिया के राइजिंग बहराइच ग्रुप की ओर से एकत्रित 28 हजार रुपये व रेडक्रास की ओर से व्हील चेयर, कमोड चेयर, वाकर, छड़ी आदि सहायक उपकरण प्रदान किया। इस दौरान विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर परिवार से मुलाकात कर घायल बच्चे के इलाज की पूरी जिम्मेदारी उठाई। जल्द ही घायल अमित स्वस्थ होकर अपने पैरों पर खड़ा होगा और अपना सामान्य जीवन जियेगा। डीएम ने बताया कि अमित के घायल होने की सूचना के साथ ही आपदा प्रबंधन की टीम परिवार के संपर्क में है। घायल के वापस घर आने पर पीड़ित से मुलाकात कर उसे रेडक्रास के माध्यम से सहायक उपकरण सहित आपदा विभाग की ओर से 16 हजार रुपये की अहेतुक सहायता दी जा रही है। साथ ही पीड़ित अमित की मां को आवास उपलब्ध करने के निर्देश दिए गये हैं। इस मौके पर एसडीएम पियूष जायसवाल, रेडक्रास सचिव व आपदा विशेषज्ञ अरुण कुमार मिश्र मौजूद रहे।

बाइक सवार को कार ने मारी ठोकर, मौत

संवाददाता—महराजगंज। नौतनवा थाना क्षेत्र के चंडीथान निकट हाईवे पर शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। डीजल लेने के लिए बाइक से आ रहे कोल्हुई थाना क्षेत्र ग्राम रुद्रपुर विश्वनाथ निवासी अमेरिका शर्मा की बाइक को पीछे से एक आर्टिगा कार ने जोरदार ठोकर मार दी। गंभीर अवस्था में घायल को जब तक लोग इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाते, तब तक उसने दम तोड़ दिया था। डॉक्टरों ने जांच करते ही उसको मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि नौतनवा में डीजल मिलने की सूचना पर अमेरिका शर्मा अपनी बाइक से पेट्रोल पंपों पर डीजल की तलाश में निकला था। मृतक अमेरिका शर्मा के पुत्र दुर्गेश ने बताया कि खेत में पानी की जरूरत थी। इंजन चलाने के लिए डीजल नहीं था। इसकी तलाश में वह पेट्रोल पंप जा रहे थे। पुलिस की माने तो अमेरिका शर्मा ने कान में इयरफोन लगा रखा था और वह बाइक से कहीं और जा रहा था। इस दौरान वह कार की चपेट में आ गया और घटना में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों की माने तो टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह कुछ दूर तक अपनी बाइक से घिसटता हुआ चला गया और खून में लथपथ जमीन पर ही पड़ा रहा। स्थानीय लोगों की सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। सीएचसी पर जांच करते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह का कहना है कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। दुर्घटना में मृत व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

सोनौली बॉर्डर पर भीषण आग, एक घंटे बंद रही आवाजाही

संवाददाता—महराजगंज। भारत–नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित सोनौली बॉर्डर पर शनिवार को उस समय अफरा–तफरी मच गई, जब नो मेंस लैंड क्षेत्र स्थित पुलिस चौकी के बगल स्थित एक दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और दुकान में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया। इससे मची अफरा–तफरी के बीच एक घंटे तक आवाजाही प्रभावित रही। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चिप्स का कारोबार करने वाला दुकानदार दुकान में तेल गर्म कर चिप्स फ्राई कर रहा था। इसी दौरान तेल अधिक गर्म होकर उबाल पर आ गया और उसमें आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें और धुएं का गुबार देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया तथा क्षेत्र में भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। घटना की सूचना मिलते ही भारत और नेपाल दोनों देशों के अग्निशमन विभाग की टीम सक्रिय हो गई। दोनों तरफ से पहुंचे फायर सर्विस के वाहनों ने संयुक्त रूप से आग बुझाने का अभियान शुरू किया। काफी देर तक चली मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, जिससे आसपास की अन्य दुकानों और प्रतिष्ठानों को सुरक्षित बचा लिया गया।

आग लगने की घटना के दौरान स्थानीय पुलिस, एसएसबी जवानों और सीमा क्षेत्र में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए मोर्चा संभाला तथा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर हटाया। अधिकारियों की सक्रियता के चलते कोई हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन दुकान में रखा भारी मात्रा में सामान जलकर नष्ट हो गया। फिलहाल आग लगने का प्राथमिक कारण गर्म तेल में अचानक आग पकड़ना बताया जा रहा है। नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। सोनौली कोतवाल महेन्द्र मिश्रा ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है।

मेडिकल कॉलेज में खामी पर डीएम ने लगाई फटकार, जूनियर डॉक्टरों के भरोसे ओपीडी

संवाददाता—गोण्डा। गोंडा मेडिकल कॉलेज में लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर, जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने शनिवार दोपहर कॉलेज का औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने करीब 75 मिनट तक विभिन्न विभागों, ओपीडी और वार्डों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कई खामियां सामने आने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और 10 दिन के भीतर सभी कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। निरीक्षण में पाया गया कि कई ओपीडी वरिष्ठ चिकित्सकों के बजाय केवल जूनियर डॉक्टरों के भरोसे चल रही थीं।

इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए वरिष्ठ चिकित्सकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। मरीजों और तीमारदारों के लिए बैठने की पर्याप्त व्यवस्था न होने से भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मेडिकल कॉलेज परिसर में साफ–सफाई की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं पाई गई। जांच में यह भी सामने आया कि सफाई कार्य के लिए अभी तक ठेका प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। जिलाधिकारी ने जिम्मेदार अधिकारियों से इस संबंध में जवाब–तलब करते हुए तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि मेडिकल कॉलेज में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, तो जिम्मेदार अधिकारी–कर्मचारियों की जवाबदेही तय कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उनकी मंशा है कि सरकार की योजनाओं के तहत मरीजों और तीमारदारों को सभी आवश्यक सुविधाएं मिलें।

रहस्यमयी ढंग से मेडिकल कॉलेज से गायब हुआ मरीज, परिजन हलकान

संवाददाता—गोण्डा। एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए लाया गया एक मरीज अचानक लापता हो गया। खबर मिली तो परिजन बेहाल हो उठे। उन्होंने मेडिकल कॉलेज प्रशासन और पुलिस से मदद की गुहार लगाई। लेकिन, उसका कोई सुराग नहीं लग सका। सहादुल्लाहनगर क्षेत्र के मदनपुर निवासी वशीम खान ने कोतवाली नगर में तहरीर दी। इसमें बताया कि उनके चचेरे भाई वाशिद खान की तबीयत गंभीर होने पर शुक्रवार शाम करीब 7ः20 बजे एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था। इमरजेंसी में भर्ती करने के लगभग एक घंटे बाद चिकित्सकों ने उसे मेडिकल कॉलेज, लखनऊ के लिए रेफर कर दिया।

वशीम खान के अनुसार, रेफर किए जाने के बाद वह इमरजेंसी के बाहर एंबुलेंस की व्यवस्था देखने

गए थे। जब वापस लौटे तो मरीज अपनी जगह पर नहीं था। काफी तलाश के बावजूद उसका कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस और मेडिकल कॉलेज प्रशासन को दी।

परिजनों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। मरीज की रिश्तेदार रुबी बेगम ने कहा कि अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग के बावजूद सहयोग नहीं किया जा रहा है।

उधर, मेडिकल कॉलेज के सीएमएस डॉ. अनिल तिवारी ने बताया कि मरीज को लखनऊ रेफर किया गया था। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस को अवगत करा दिया गया है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। मरीज की तलाश की जा रही है।

लोकतंत्र की मजबूती में निष्पक्ष पत्रकारिता की अहम भूमिका –राजेश कुमार

–भारतीय बस्ती संवाददाता– अयोध्या। पत्रकारिता दिवस के अवसर पर शुक्रवार को अयोध्या के अरुंधती रेस्टोरेंट में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने वर्तमान समय में पत्रकारिता के समक्ष उपस्थित चुनौतियों, सामाजिक दायित्वों और निष्पक्ष पत्रकारिता की आवश्यकता पर विस्तार से विचार व्यक्त किए।संगोष्ठी का शुभारंभ मंडलायुक्त राजेश कुमार, संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत संजय दास, उदासीन आश्रम के महंत भरत दास, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा तथा पूर्व सूचना आयुक्त नरेंद्र श्रीवास्तव ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार कमलाकांत सुंदरम ने किया। अतिथियों के प्रति आभार भानु प्रताप सिंह एवं आशुतोष पाठक ने व्यक्त किया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए संगत ऋषि आश्रम रानोपाली के महंत भरत दास महाराज ने कहा कि पत्रकारिता वर्तमान समय में कठिन दौर से गुजर रही है, लेकिन यदि पत्रकार निर्भीक एवं निष्पक्ष होकर कार्य करते रहेंगे तो समाज और आमजन को उसका लाभ मिलता रहेगा। महंत संजय दास ने कहा कि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पहले सोशल मीडिया सक्रिय हो जाता है, फिर भी प्रिंट मीडिया की विश्वसनीयता आज भी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता में समावेशी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।मंडलायुक्त राजेश कुमार ने कहा कि वर्तमान समय में पत्रकार और पत्रकारिता दोनों के सामने अनेक चुनौतियां हैं। पत्रकार समाज का दर्पण होता है और उसे स्वयं की सुरक्षा के साथ समाज को सही दिशा दिखाने का कार्य करना चाहिए, ताकि समाज भटकाव से बच सके।पूर्व सूचना आयुक्त नरेंद्र श्रीवास्तव ने हिंदी पत्रकारिता के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पत्रकारिता मूल रूप से समाज सेवा का माध्यम है। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों से प्रारंभ होने वाले संगठन भी समय के साथ विशाल स्वरूप ग्रहण करते हैं। उन्होंने अयोध्या पत्रकार प्रतिष्ठान से जुड़े पत्रकारों का उत्साहवर्धन भी किया।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा ने कहा कि पत्रकारिता ही समाज को सूचनाओं से अवगत कराती है। वर्तमान समय पत्रकारों के लिए चुनौतीपूर्ण अवश्य है, लेकिन जब तक कलम निर्भीक होकर चलती रहेगी, तब तक समाज सुरक्षित रहेगा।इस दौरान अतिथियों का स्वागत सुशील पांडेय, शरद शर्मा, अनुराग शुक्ला, रमेश मिश्रा, निमिष गोस्वामी, अखंड प्रताप सिंह, बम–बम यादव, चंद्रमोहन श्रीवास्तव, सुभाष सिंह, अजेन्द्र पांडेय, सर्वेश श्रीवास्तव, नितिन मिश्रा सहित अन्य पत्रकारों ने किया।संगोष्ठी में वरिष्ठ पत्रकार केबी शुक्ला, शिवकुमार मिश्रा, केके मिश्रा, अज्जू श्रीवास्तव, मनमीत गुप्ता, राघवेंद्र शुक्ला, प्रशांत शुक्ला, सौरभ शुक्ला, राकेश यादव, समीर शाही, अपूर्व पाठक, शिवेंद्र द्विवेदी समेत बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे।

अमेरिकी नागरिक गिरफ्ताररू पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया, वीजा–डॉक्यूमेंट की हो रही जांच

संवाददाता—महराजगंज। कस्बे स्थित छतरी चौराहा से पुलिस ने शनिवार की सुबह चार बजे के करीब एक संदिग्ध अमेरिकी नागरिक को पकड़ कर थाने लाई। जहां पूछताछ के बाद संदिग्ध देखते हुए सूचना पुलिस ने उच्चाधिकारियों के साथ जांच एजेंसी को दी गई। युवक से स्थानीय पुलिस के साथ–साथ विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय खुफिया एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां उसके भारत आगमन, यहां रहने के उद्देश्य और नेपाल सीमा की ओर जाने की वजह की गहन जांच कर रही हैं। पूछताछ के दौरान युवक ने अपना नाम ट्रेविस फेलेन 35 बताया है। वह अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य का निवासी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक नेपाल सीमा की ओर जाने की फिराक में था। इसी दौरान उसकी गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत होने पर उसे फरेंदा के छतरी चौराहा क्षेत्र से भोर में पुलिस ने हिरासत में लिया गया।

मामले की सूचना मिलते ही आईबी (इंटेलिजेंस ब्यूरो), एसआईओ तथा एलआईयू की टीमें सक्रिय हो गईं और युवक से अलग–अलग पहलुओं पर पूछताछ शुरू कर दी। एजेंसियां उसके पास मौजूद दस्तावेजों, यात्रा संबंधी रिकॉर्ड और भारत में उसके ठहरने के स्थानों की भी जांच कर रही हैं। पूछताछ में युवक ने बताया कि वह 180 दिनों के टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसका टूरिस्ट वीजा फरवरी माह में ही समाप्त हो चुका है। वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद भारत में रहने के कारण उसकी स्थिति और गतिविधियों की विशेष रूप से जांच की जा रही है। इस संबंध में थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में पूछताछ जारी है तथा जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

फरेंदा में संदिग्ध रूप में पकड़ा गया अमेरिकी नागरिक के पास मोबाइल फोन व नगदी रकम न होने से वह भटकने की बात सामने आ रही है। वह हैदराबाद से चलकर नेपाल के रास्ते अमेरिका जाने की फिराक में था कि सोनौली बार्डर से अज्ञात कारणों से वापस फरेंदा लौट आया। जहां पर रात में छतरी चौराहे पर किसी बस ने उतार कर चला गया। उसके बाद वह वाहन के इंतजार में खड़ा रहा। जहां पर पुलिस की नजर पड़ गई तो पकड़ कर थाने ले आए।

स्वास्थ्य इकाइयों पर मनाया गया तम्बाकू निषेध दिवस, सीएमओ ने हस्ताक्षर अभियान से की कार्यक्रम की शुरुआत

संवाददाता—बहराइच। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत शनिवार को जिले की सभी स्वास्थ्य इकाइयों पर विश्व तम्बाकू निषेध दिवस मनाया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय में डॉ. संजय कुमार की अध्यक्षता में हस्ताक्षर अभियान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने मानव श्रृंखला बनाई और शपथ लेकर आमजन को तम्बाकू से दूर रहने का संदेश दिया।

सीएमओ कार्यालय सभागार में आयोजित गोष्ठी को संबोधित करते हुए डॉ. संजय कुमार ने बताया कि भारत में प्रतिवर्ष लाखों लोग तम्बाकू जनित रोगों से अपनी जान गंवाते हैं। उन्होंने कहा कि सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों से कैंसर, हृदय तथा फेफड़ों जैसी गंभीर बीमारियाँ होती हैं। इन असामयिक मौतों को रोकने के लिए सरकारी कर्मियों के माध्यम से आमजन को जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है।

एनसीडी कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. संदीप मिश्रा ने तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा) की

जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अधिनियम की धारा–4 के तहत सभी सार्वजनिक कार्यालयों और स्थानों पर धूम्रपान पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके अतिरिक्त, धारा–6 के अनुसार शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में और नाबालिगों को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर भी रोक है।

डिप्टी सीएमओ डॉ. अनुराग वर्मा ने इस अवसर पर कहा कि धूम्रपान केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि परिवार और समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। कार्यक्रम का संचालन कर रहे चिकित्साधिकारी डॉ. पारितोष तिवारी ने बताया कि तम्बाकू में मौजूद निकोटिन व्यक्ति को इसका आदी बना देता है, जिससे शरीर अंदर से खोखला हो जाता है। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों को तम्बाकू उत्पादों का सेवन न करने की शपथ दिलाई।

इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएमओ डॉ. पीके वर्मा, मनोचिकित्सक डॉ. विजित जायसवाल, गैर संचारी रोगों के चिकित्साधिकारी डॉ. अंशुमान सिंह श्रीनेत्र, डॉ. अकीब एजाज, एफएलसी विवेक श्रीवास्तव, शरद श्रीवास्तव, फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. रियाजुल हक, परामर्शदाता पुनीत शर्मा, लैब टेक्निशियन संतोष सिंह, नर्सिंग अधिकारी बृज प्रकाश और स्वाती श्रीवास्तव उपस्थित रहे। इनके साथ मानसिक स्वास्थ्य टीम के मुकेश हंस, हरीश कुमार, मनीष सिंह, अजय प्रताप सिंह और सीमा कुमारी भी मौजूद थीं।

नगर निगम ने पुलिस बल संग चार करोड़ की जमीन पर बुलडोजर चला कब्जा लिया

संवाददाता—गोरखपुर। महादेव झारखण्डी टुकड़ा नम्बर एक में 178 एयर जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। तकरीबन चार करोड़ रुपये कीमत की इस जमीन पर शनिवार को अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार के निर्देश पर नगर निगम के राजस्व विभाग की टीम ने पुलिस बल के साथ ध्वस्तीकरण किया। पुलिस बल और प्रवर्तन दल की मौजूदगी के बीच कोई प्रतिरोध सामने नहीं आया। महादेव झारखण्डी के टुकड़ा नम्बर एक में अराजी संख्या 1220ए03 में नगर निगम की 623 एयर सरकारी जमीन है। इस जमीन के 178 एकड़ पर प्लाटिंग कर कुछ लोगों ने चाहरदीवारी, टीनशेड, मकान के पिलर आदि का निर्माण करना शुरू कर दिया था। पिछले दिनों नगर निगम ने जमीन की पैमाइश कर अतिक्रमणकारियों को चेतावनी भी दिया था। शनिवार को एम्स पुलिस, प्रवर्तन दल के साथ तहसीलदार बीएन उपाध्याय, नायब तहसीलदार प्रमोद कुमार, सतीश कुमार, कानूनगो रविंद्र नाथ त्रिपाठी, राम दयाल, लेखपाल उस्मान, जगदीश चौधरी समेत काफी संख्या में नगर निगम कर्मी मौके पर पहुंचे। दो जेसीबी की मदद से न केवल किए गए निर्माण को तोड़ दिया। बल्कि आसपास के लोगों को अवगत कराया कि जमीन नगर निगम की है, उस पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल्द ही जमीन की बाड़बंदी कर उस पर बोर्ड भी लगाया जाएगा। अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार ने बताया कि इस जमीन की कीमत तकरीबन 04 करोड़ रुपये से अधिक की है। मानबेला में 80 एयर जमीन पर की बाड़बंदी इसके अलावा नगर निगम के राजस्व विभाग की टीम ने शनिवार को ग्राम मनबेला तप्पा खुटहन परगना हवेली तहसील सदर जनपद गोरखपुर में आराजी संख्या 677 में अतिक्रमण का जाएजा लिया। यहां खाली पड़ी 80 एयर जमीन पर तार फेंसिंग करा कर अपना कब्जा लिया। बकायदा यहां बोर्ड भी लगाया कि यह जमीन नगर निगम की है।

बाइक ट्रक में जा घुसी, मां–बेटे की मौत

संवाददाता—सिद्धार्थनगर। शनिवार दोपहर इटवा थाना क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में एक महिला और उसके दो साल के बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना इटवा–डुमरियागंज मार्ग पर चौखड़ा स्थित बदलिया कन्या डिग्री कॉलेज के सामने हुई। पुलिस के अनुसार, डुमरियागंज थाना क्षेत्र के कटौतिया गांव निवासी दुर्गावती (40) अपने दो साल के बेटे पल्लू के साथ अपने भाई जीतू सहानी की मोटरसाइकिल पर ढेबरूवा थाना क्षेत्र स्थित मायके जा रही थीं। चौखड़ा के पास उनकी बाइक की दूसरे मोटरसाइकिल सवार से ओवरटेकिंग के दौरान स्थिति बिगड़ गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इसी दौरान सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक को देखकर बाइक चला रहे जीतू सहानी ने संतुलन खो दिया। बेकाबू बाइक ट्रक के पिछले हिस्से की ओर जा घुसी। हादसे में पीछे बैठी दुर्गावती और उनकी गोद में मौजूद पल्लू सड़क पर गिर गए, जिसके बाद ट्रक का पिछला पहिया दोनों के ऊपर से गुजर गया। इस भीषण टक्कर में मां–बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई। बाइक चला रहे जीतू सहानी को मामूली चोटें आईं।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक संजय मिश्रा ने बताया कि दुर्घटना में शामिल ट्रक और उसके चालक को हिरासत में ले लिया गया है। मामले में मुकदमा पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस हादसे के बाद परिजनों में दुख का माहौल है और गांव में शोक व्याप्त है।

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय– श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0–748/2025
श्रीमती गीता मिश्रा आदि
बनाम
श्रीमती सीमा देवी आदि

3. श्रीमती सरिता देवी उम्र करीब 45 वर्ष पुत्री सियाराम पत्नी धर्मराज निवासी ग्राम डिलिया हालमुकाम ग्राम भेलवल तप्पा पिपरा परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती 4. श्रीमती ममता उम्र करीब 42 वर्ष पुत्री सियाराम पत्नी अशोक कुमार निवासी ग्राम नेवारी तप्पा मथौली परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती

—प्रतिवादीनीगण तृतीय वर्ग

तारीख पेशी 21–07–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 21 माह 07 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कतई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

—द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश
(आर्डर 9 कायदा 9) (2)
अदालत– श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
प्रकीर्ण वाद संख्या– 329/2025
(अन्तर्गत मूलवाद सं0–277/1983)
रामलौट आदि
बनाम
हृदयराम आदि

1. हृदयराम उम्र 35 वर्ष 2. राम मूरत उम्र 31 वर्ष पुत्रगण पल्टूराम 3. रामजनक उम्र 30 वर्ष मृतक पुत्र रामदत्त

3/1 जयन्ती उम्र 70 वर्ष पत्नी रामजनक 3/2 आनन्द कुमार उम्र 50 वर्ष पुत्रगण पुत्रगण पल्टूराम 3/3 धर्मेन्द्र कुमार उम्र 47 वर्ष 3/4 सन्त कुमार उम्र 45 वर्ष 3/5 कृष्ण कुमार उम्र 43 वर्ष 3/6 अशोक उम्र 40 वर्ष 3/7 अनिल उम्र 35 वर्ष 3/8 सतवन्त उम्र 30 वर्ष 3/9 सुनील उम्र 22 वर्ष पुत्रगण राम जनक 3/10 कुसुम उम्र 40 वर्ष पुत्री रामजनक निवासीगण ग्राम खोपोखर, तप्पा–नवई, परगना–नगर पश्चिम तहसील–हरैया, जिला–बस्ती 4. राजाराम उम्र 40 वर्ष मृतक पुत्र छोटू 4/1 तारा देवी उम्र 65 वर्ष 4/2 सुशीला देवी उम्र 62 वर्ष पुत्रीगण राजाराम निवासी ग्राम अमारी बाजार बेंचूपुर तप्पा–रामगढ़, परगना–अमोढ़ा, तहसील–हरैया, जिला–बस्ती

—विपक्षीगण

तारीख पेशी 22–08–2026

दरख्वास्त मुसम्मा

हरगाह मुद्दई मजकूरूसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश नाबुदा हस्ब हिदायत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई0 पेश को है।

लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 22 माह 08 सन 2026 या असालतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुख्तार मजाज हस्ब जाप्ता और वाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करें कि नाबुदी की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय। मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

—द0 हाकिम—

अदालती नोटिस

(हेतु सन्दर्शित करने की सूचना साधारण प्रारूप)
(आर्डर 5 कायदा 3)
न्यायालय–श्रीमान पंचम अति0 सिविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला बस्ती
मूलवाद सं0 392/2099
कृष्णचन्द्र
बनाम
श्रीचन्द्र शुक्ल

1. राधिका देवी पत्नी श्रीचन्द्र शुक्ल 2. पियुष कुमार पुत्र श्रीचन्द्र शुक्ल 3. प्रत्यूष कुमार पुत्र श्रीचन्द्र शुक्ल निवासीगण ग्राम आमचादी तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरब तहसील बस्ती जिला–बस्ती

तारीख पेशी 13–07–2026

चूंकि उपरिनामांकित ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि अतएवं आपको एतद द्वारा चेतावनी दी जाती है कि आप इसे आदेश के खिलाफ हेतु सन्दर्भित करने के लिये 2026 के माह 07 के 13 दिवस को 10.00 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या सम्पर्क रूपेण अनुर्दिष्ट अपने अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो और ऐसा न करने पर उक्त आवेदन एक पक्षीय रूप से सुना जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित आज सन 20 के माह के दिवस को निकाली गयी।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय– श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0–50/2026
सुदामा
बनाम
विन्दवासिनी आदि

1. विन्दवासिनी आयु 35 वर्ष पत्नी राम अजोर निवासी ग्राम नन्दनगर तप्पा सिकन्दरपुर, परगना अमोढ़ा, तहसील हरैया, जिला बस्ती 2. रामकुमार आयु 50 वर्ष पुत्र लालता प्रसाद निवासी ग्राम चौरी, तप्पा सिकन्दरपुर, परगना अमोढ़ा, तहसील हरैया, जिला बस्ती

– प्रतिवादी प्रथम वर्ग

3. राधेश्याम सोनकर आयु 50 वर्ष 4. सुखीराम सोनकर आयु 48 वर्ष पुत्रगण नान्हू 5. श्रीमती आयु 58 वर्ष पत्नी स्व0 सुखदेव पूर्व निवासी ग्राम नन्दनगर, तप्पा सिकन्दरपुर, परगना अमोढ़ा, तहसील हरैया, जिला बस्ती हाल मुकाम ग्राम सिकन्दरपुर, तप्पा सिकन्दरपुर, परगना अमोढ़ा, तहसील हरैया, जिला बस्ती।

–प्रतिवादीगण द्वितीय वर्ग

तारीख पेशी 08–07–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 08 माह 07 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कतई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

रेलवे ओवरब्रिज की डिजाइन बदलने के विरोध में सौंपा ज्ञापन

संवाददाता—गोरखपुर। ओबीसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काली शंकर यदुवंशी ने चौरीचौरा में बन रहे रेलवे ओवरब्रिज की डिजाइन बदलने की मांग को लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन कमिश्नर को सौंपा। ज्ञापन में रेलवे ओवरब्रिज को वाई मॉडल बनाने और कछरांचल ब्लॉक घोषित करने की मांग शामिल है। काली शंकर ने कहा कि जनता के हितों और विकास के लिए इन मांगों पर त्वरित निर्णय लेना आवश्यक हो चुका है। कागजी साक्ष्यों का हवाला देते हुए बताया कि राज्य सेतु निगम ने आरटीआई के लिखित जवाब में यह स्वीकार किया है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2021 में जनहित के लिए स्वीकृत मूल वाई मॉडल नक्शे को संशोधित करके अब एल मॉडल बनाया जा रहा है।

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्दाअलेह मुतवफ्फा
(आर्डर 22, कायदा 4)
अदालत–श्रीमान पंचम अति0 सिविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला बस्ती
मूलवाद संख्या– 212/1999
श्रीमती फगुनी देवी
बनाम
श्रीमती शान्ती देवी आदि

12/1 दिनेश 12/2 आजाद 12/3 रामू 12/4 श्यामू पुत्रगण राजेन्द्र 12/6 श्रीमती गुजराती पत्नी राजेन्द्र 12/6 रेनू पुत्री राजेन्द्र निवासीगण ग्राम तिघरा तप्पा कुदारन परगना मगहर पश्चिम तहसील बांसी जिला सिद्धार्थनगर

14/1 रेखा पत्नी गुड्डू 14/2 शनि 14/3 शिवा नाबालिग पुत्रगण गुड्डू वबलायत माता निवासीगण ग्राम तिघरा तप्पा कुदारन परगना मगहर पूरब तहसील रूधौली जिला बस्ती

तारीख पेशी 06–07–2026

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय।

लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 06 माह 07 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय– श्रीमान सिविल जज (सी00डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0–213/2026
सीताशरन
बनाम
संतोष कुमार आदि

1. संतोष कुमार आयु 36 वर्ष 2. मुकेश कुमार आयु 34 वर्ष 3. उमेश कुमार आयु 32 वर्ष 4. महेश कुमार आयु 28 वर्ष पुत्रगण भानुप्रताप 5. शांति देवी आयु 58 वर्ष पत्नी भानुप्रताप निवासी ग्राम नरायनपुर, तप्पा रामगढ़, परगना अमोढ़ा, तहसील हरैया, जिला बस्ती।

–प्रतिवादीगण प्रथम वर्ग

6. ओमप्रकाश आयु वर्ष पुत्र जगई निवासीगण ग्राम नरायनपुर, तप्पा रामगढ़, परगना अमोढ़ा, तहसील हरैया, जिला बस्ती ।

– प्रतिवादी द्वितीय वर्ग

तारीख पेशी 17–07–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 17 माह 07 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कतई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश
(आर्डर 9 कायदा 9) (2)
अदालत–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) एफ0टी0सी0 महोदय बस्ती जिला बस्ती
मु0नं0– 443/2003
हीराम
बनाम
खेदूराम

1. खेदूराम (मृतक)
1/1 राज कुमारी उम्र 80 साल बेवा खेदूराम 1/2 हृदयराम उम्र 50 साल पुत्र स्व0 खेदूराम साकिनान बटदूपुर तप्पा खुरियार परगना नगर पश्चिम तहसील हर्रैया जिला बस्ती

–प्रतिवादीगण

तारीख पेशी 18–07–2026

दरख्वास्त मुसम्मा हरगाह मुद्दई मजकुरूसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश नाबुदा हस्ब हिदायत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई0 पेश को है।

लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 18 माह 07 सन 2026 या असालतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुख्तार मजाज हस्ब जाप्ता और वाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करें कि नाबुदी की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय।

मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख 30 माह 05 सन 2026 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय– श्रीमान सिविल जज (सी00डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0–11/2026
सुखराम आदि
बनाम
रामछैल आदि

1. रामछैल उम्र 40 वर्ष 2. मोहन लाल उम्र 35 वर्ष 3. अवधेश कुमार उम्र 30 वर्ष पुत्रगण रामबली साकिन टोला–रामपुर गनेशपुर, तप्पा–गनेशपुर, परगना–नगर तहसील व जिला–बस्ती 4. सन्तराम उम्र 22 वर्ष पुत्र राम औतार 5. चम्पा देवी पत्नी उत्तम कुमार 6. शान्ती देवी पत्नी दुर्गा प्रसाद 7. श्रीमती यशोदामती राम सुरेश साकिनान टोला–रामपुर, गनेशपुर, तप्पा–गनेशपुर, परगना–नगर पूरब, तहसील व जिला–बस्ती 8. श्रीमती विनीता देवी पत्नी दीन दयाल साकिन टोला–बड़ी बाजार, गनेशपुर, तप्पा–गनेशपुर, परगना–नगर पूरब, तहसील व जिला–बस्ती

तारीख पेशी 02–07–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 02 माह 07 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कतई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

नदी में नहाने से बच्चों की मौत की घटनाएं रोकें –मंडलायुक्त

संवाददाता—गोरखपुर। राप्ती नदी में हाल के दिनों में बच्चों की डूबने से हुई दर्दनाक मौतों के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। शनिवार को मण्डलायुक्त अनिल ढींगरा और पुलिस उप महानिरीक्षक एस. चन्नप्पा ने उन संवेदनशील स्थलों का आकस्मिक निरीक्षण किया, जहां हाल में हादसे हुए थे। अधिकारियों ने साहूकोल उर्फ मिर्जापुर गांव तथा राजघाट क्षेत्र का जायजा लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक (नगर) सहित राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। मण्डलायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए दुर्घटनाग्रस्त और जोखिम वाले क्षेत्रों में चेतावनी सूचक बोर्ड एवं साइनेज तत्काल लगाए जाएं।

इन बोर्डों को ऐसे स्थानों पर लगाने को कहा गया है, जहां लोग आसानी से उन्हें देख सकें। साथ ही बोर्ड पर संबंधित थानाध्यक्ष का नाम, मोबाइल नंबर और एनडीआरएफ का संपर्क नंबर भी अंकित किया जाएगा, ताकि आपात स्थिति में त्वरित सहायता मिल सके। मण्डलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि नदी किनारे बसे गांवों में चौपाल आयोजित कर अभिभावकों और ग्रामीणों को जागरूक किया जाए। लोगों को समझाया जाएगा कि वे बच्चों को नदी में नहाने या गहरे पानी वाले क्षेत्रों के आसपास जाने से रोकें, जिससे हादसों पर अंकुश लगाया जा सके।

इसके अलावा जिन स्थानों पर नदी की गहराई अधिक है, वहां सिंचाई विभाग को तत्काल लाल रंग के चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का मानना है कि जागरूकता, निगरानी और सुरक्षा संकेतकों के माध्यम से भविष्य में इस तरह की दुखद घटनाओं को रोका जा सकता है।

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश
(आर्डर 9 कायदा 9) (2)
अदालत–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) एफ0टी0सी0 महोदय बस्ती जिला बस्ती
मु0नं0– 446/2013
रामनरेश
बनाम
राज कुमारी आदि

2/1 सुनील सिंह उम्र लगभग 35 वर्ष पुत्र साधू शरन सिंह 2/2 श्रीमती वन्दना पत्नी संजय सिंह उम्र लगभग 30 वर्ष साकिनान मौजा भूअर तप्पा दुबखरा परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती 3/1 मनू सिंह उम्र लगभग 42 वर्ष पुत्र रामशंकर सिंह 3/2 श्रीमती दुर्गा देवी उम्र लगभग 75 वर्ष पत्नी रामशंकर सिंह साकिनान मौजा भूअर तप्पा दुबखरा परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 14–07–2026

दरख्वास्त मुसम्मा हरगाह मुद्दई मजकुरूसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश नाबुदा हस्ब हिदायत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई0 पेश को है।

लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 14 माह 07 सन 2026 या असालतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुख्तार मजाज हस्ब जाप्ता और वाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करें कि नाबुदी की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय।

मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख 25 माह 05 सन 2026 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्दाअलेह मुतवफ्फा
(आर्डर 22, कायदा 4)
अदालत–श्रीमान पंचम अति0 सिविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला बस्ती
वाद संख्या– 245/1990
ब्रम्हादीन
बनाम
रामकिंकर पाण्डेय आदि

1. श्रीमती शीला देवी पत्नी बृजेश कुमार 2. अरूण कुमार पुत्र उदयनरायन निवासीगण ग्राम त्रिलोकपुर पो0 केशवपुर तप्पा पुरैना परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला बस्ती

तारीख पेशी 02–07–2026

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय।

लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 02 माह 07 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सन् 1890 के अधिनियम 8 की धारा 11 के अधीन सूचना
न्यायालय– श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय सिद्धार्थनगर जिला–सिद्धार्थनगर
प्रकीर्णवाद सं0 49/2026
दिलीप कुमार वर्मा
बनाम
सरकार उत्तर प्रदेश आदि

1–सरकार उत्तर–प्रदेश द्वारा जिलाधिकारी द्वारा शासकीय अधिवक्ता (सिविल) जनपद–सिद्धार्थनगर

(प्रतिवादी प्रथम पक्ष)

2–श्रीमती अंजनी सोनी उम्र लगभग 38 वर्ष पत्नी दिलीप कुमार वर्मा साकिन बतसा पोस्ट सवाडांड तप्पा खेसरहा परगना बांसीपूरब तहसील बांसी जिला–सिद्धार्थनगर 3–आम जनता 4–धर्मेन्द्र वर्मा पुत्र शंकर वर्मा वालिग 5–विश्वनाथ वर्मा पुत्र विन्देश्वरी वर्मा वालिग समस्त निवासी बतसा तप्पा खेसरहा परगना बांसीपूरब तहसील बांसी जिला सिद्धार्थनगर

(प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष)

तारीख पेशी 14–07–2026

को यह सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदक ने संरक्षक/वारिस नियुक्त किए जाने के लिए यह आवेदन दिया है अतएव यह सूचना आपत्तिकर्ताओं को उपसंजाति और बाद की पेशी के प्रयोजन के लिए 14–07–2026 दिवस नियत करके निकाली जाती है कि यदि आपको/किसी अवधि के भीतर स्वयं अथवा अभिवक्ता द्वारा 10:00 बजे पूर्वाहन के पूर्व न्यायालय के न्यायालय के उपसंजाति होकर अपनी आपत्ति पेश करें उक्त निर्णित अवधि के अवसान होने की दशा में आपकी किसी की आपत्ति न सुनी जायेगी और के आवेदन के सम्बन्ध में यथोचित आदेश पारित किया जायेगा। सन् 2020 के के दिवस को दिनांकित

द0 हाकिम

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम विनोद कुमार पुत्र राममिलन ग्राम बजरमटिया पोस्ट मीतनजोत थाना नगर तहसील व जिला बस्ती का निवासी हूं। मेरे पुत्र आदित्यराय की जन्म तिथि आधार कार्ड में 10–7–2010 है जो कि गलत अंकित हो गया है उसकी सही जन्मतिथि जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार 10–7–2012 है । उसे आधारकार्ड में सुधारकर जन्म तिथि 10–7–2010 के स्थान पर 10–7–2012 कराया जाय।

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश
(आर्डर 9 कायदा 9) (2)
अदालत–श्रीमान पंचम अति0 सिविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला बस्ती
प्रकीर्ण वाद संख्या– 160/2023
रामचन्दर
बनाम
रघुनन्दन राम साहू आदि

1.रघुनन्दन राम साहू पुत्र स्व0 दीनबन्धु साहू निवासी मोहल्ला नई बाजार पुरानी बस्ती तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला बस्ती

7. श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी स्व0 रामजी 8. राजेन्द्र 9. अशोक पुत्रगण स्व0 रामजी 10. श्रीमती सीमा पत्नी प्रदीप कुमार निवासीगण मुहल्ला पाण्डेय बाजार पुरानी बस्ती तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला बस्ती 11. नगर पालिका परिषद बस्ती जरिये अध्यक्ष

तारीख पेशी 10–08–2026

दरख्वास्त मुसम्मा हरगाह मुद्दई मजकुरूसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश नाबुदा हस्ब हिदायत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई0 पेश को है।

लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 10 माह 08 सन 2026 या असालतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुख्तार मजाज हस्ब जाप्ता और वाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करें कि नाबुदी की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय।

मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

बीआरडी मेडिकल कॉलेज के दुर्गा मंदिर से दानपेटी चोरी

संवाददाता—गोरखपुर। बीआरडी मेडिकल कॉलेज परिसर स्थित दुर्गा मंदिर से चोर दानपेटी उठा ले गए। घटना की जानकारी शनिवार सुबह उस समय हुई जब पुजारी पूजा–अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे। मंदिर का ताला टूटा मिला और दानपेटी गायब थी। सूचना पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ मामले की जांच में जुटी है।

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्रर समायत अपील
वाद सं0–C 202417000000907
अदालत– श्रीमान अपर आयुक्त (प्रशासन) बस्ती मण्डल महोदय बस्ती जिला–बस्ती
फारूक
बनाम
अब्दुल रऊफ आदि

1. अब्दुल रऊफ 2. मुश्ताक अहमद 3. करम हुसैन 4. अली हुसैन 5. इश्तियाक 6. इम्तियाज पुत्रगण चिनकान –रेस्पान्डेन्ट प्रथम वर्ग 7. मो0 असलम 8. मो0 याकूब पुत्रगण रहमत –रेस्पान्डेन्ट द्वितीय वर्ग साकिनान मौजा चन्दोखा तप्पा आदमपुर परगना रसूलपुर तहसील भानपुर जिला बस्ती

तारीख पेशी 07–07–2026

अपील बनराजी के अदालत मुकाम बस्ती
मयरिखा महीना सन् 20 ई0 रेस्पान्डेन्ट

इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 07 महीना 07 सन 2026 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है। अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी।

आज बतारीख 30 माह 05 सन 2026 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।

द0 हाकिम

दैनिक भारतीय बस्ती

संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक–दिनेश सिंह
संयुक्त सम्पादक–प्रदीप चन्द्र पाण्डेय
अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय–
चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय–
आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच, कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय–
इलाहीबाग गोरखपुर।
मो0 9336715406, 8400925463
ई.मेल bhartiyabasti@gmail.com
dainikbhartiyabasti@gmail.com